न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 401/2024

अनवान : –

1. प्रहलाद पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. कृष्ण पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. रामप्यारी पत्नी संतलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. बिरमाराम पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
6. गंगा पुत्री मनफूलसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
7. गुड्डी पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
8. प्रतापसिंह पुत्र मनफुलसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
9. भोपालसिंह पुत्र मनफुलसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
10. मूरता कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
11. सुमन रानी पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
12. सुलतानसिंह पुत्र मनफुलसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
13. साहेबसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
14. होशियार पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
16. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/05/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 100/102 की कुल 9.0040 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 ता 15 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है तथा ख0न0 339 में पानी की डिग्गी व टयूबैल बना रखा है ले[illegible] प्रतिवादी संख्या 3 के साथ मिलकर वादी के कब्जा काश्त में दखल देना चाहते [illegible] डिग्गी व टयूबैल को खण्डीत करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1 त[illegible] झगडालु किस्म के लोग है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा काश्त में सींव [illegible]ल तोड़कर पानी की [illegible] व टयूबैल को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

नुकसान पंहूचाने की धमकी देते है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए वादी हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 100/102 की कुल 9.0040 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 4 ता 15 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगाान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 16 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ननाउ सम्वत 2070–73 खाता स0 100/102 पेश की। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रह तत्पश्चात बहस सुनी गयी।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा तथा कब्जा के अनुसार मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 100/102 की कुल 9.0040 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 कृष्ण कुमार पुत्र संतलाल 22086/62720 हि0, प्रहलाद पुत्र संतलाल 19134/62720 हि0, रामप्यारी पत्नी संतलाल 2150/6272 हि0, जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन रामप्यारी हि0 पीएनबी बैंक शाखा मन्दरपुरा, कृष्ण कुमार 1.662 हैक्ट, प्रहला 1.371 हैक्ट रहन पीएनबी बैंक शाखा नोहर मूर्त – **ख0न0 339 की 3.035 हैक्ट, ख0न0 405 की 3.236 हैक्ट, कुल 6.272 हैक्ट बारानी प्रथम**

2 कान्ता पुत्री भंवरसिंह 26/27320 [illegible] पत्नी भंवरसिंह 26/27320 हि0, भोपालसिंह पुत्र मनफुलसिंह 154/27[illegible] हि0, [illegible]मरता कंवर पुत्री भंवरसिंह 26/27320 हि0, सुमन रानी पुत्री भंवरसिंह 26/27320 हि0, साहबसिंह पुत्र भंवरसिंह 26/27320 हि0 होशियारसिंह पुत्र भंवरसिंह 26/2732[illegible] हि0, सुलतान सिंह पुत्र मनफुल सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

9005/27320 हि0, प्रतापसिंह पुत्र मनफुलसिंह 9005/27320 हि0, गंगा पत्नी मनफुलसिंह 9000/27320 हि0 जाति राजपुत सा0 देह खातेदार– **ख0न0 339 की .657 हैक्ट, ख0न0 405 की 2.075 हैक्ट कुल 2.732 हैक्ट बारानी प्रथम**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 401 / 2024

अनवान : –

1. प्रहलाद पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. रामप्यारी पत्नी संतलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. बिरमाराम पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
6. गंगा पुत्री मनफूलसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
7. गुड्डी पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
8. प्रतापसिंह पुत्र मनफुलसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
9. भोपालसिंह पुत्र मनफुलसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
10. मूरता कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
11. सुमन रानी पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
12. सुलतानसिंह पुत्र मनफुलसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
13. साहेबसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
14. होशियार पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
16. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1012 सन 2022 निर्णय दिनांक 20/05/25

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 100 / 102 की कुल 9.0040 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 कृष्ण कुमार पुत्र संतलाल 22086 / 62720 हि0, प्रहलाद पुत्र संतलाल 19134 / 62720 हि0, रामप्यारी पत्नी संतलाल 2150 / 6272 हि0, जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन रामप्यारी हि0 पीएनबी बैंक शाखा मन्दरपुरा, कृष्ण कुमार 1.662 हैक्ट, प्रहला 1.371 हैक्ट रहन पीएनबी बैंक शाखा नोहर मूर्त – **ख0न0 339 की 3.035 हैक्ट, ख0न0 405 की 3. 236 हैक्ट, कुल 6.272 हैक्ट बारानी प्रथम**

2 कान्ता पुत्री भंवरसिंह 26 / 27320 हि0, गुडडी पत्नी भंवरसिंह 26 / 27320 हि0, भोपालसिंह पुत्र मनफुलसिंह 154 / 2732[illegible] मूरता कंवर पुत्री भंवरसिंह 26 / 27320 हि0, सुमन रानी पुत्री भंवर[illegible] पुत्र भंवरसिंह 26 / 27320 हि0 होशियारसिंह पुत्र भंवरसिंह 26 / 27320 हि0, सुलतान सिंह पुत्र मनफुल सिंह 9005 / 27320 हि0, प्रतापसिंह पुत्र मन[illegible]सिंह 9005 / 27320 हि0, गंगा पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

मनफुलसिंह 9000 / 27320 हि0 जाति राजपुत सा0 देह खातेदार– **ख0न0 339 की .657 हैक्ट, ख0न0 405 की 2.075 हैक्ट कुल 2.732 हैक्ट बारानी प्रथम**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20/05/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested